न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :– 06/2025 GCMS No. 2025/18

परिवादी :–

1. श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर (राज.)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री विजय कुमार पुत्र झूमरमल खाद्य–कारोबारकर्ता एवं मालिक निवासी न्यू पोस्ट बड़ला का बास, कुचामनसिटी 9887749921
   फर्म – मैसर्स श्रीश्याम दूध भण्डार, न्यू कॉलोनी, मण्डप के सामने कुचामनसिटी।

" परिवाद अन्तर्गत धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 '
उपस्थिति :– ।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 19/11/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.11.2024 को समय 6.00 पी.एम. पर फर्म मैसर्स श्रीश्याम दूध भण्डार, न्यू कॉलोनी, मण्डप के सामने कुचामनसिटी पर पॅहुचा। वहां पर श्री विजय कुमार पुत्र झूमरमल मिले, श्री झूमरमल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री झूमरमल ने स्वयं को मैसर्स श्रीश्याम दूध भण्डार, न्यू कॉलोनी, मण्डप के सामने कुचामनसिटी का खांद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियॉं प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध Cow Milk (Loose) 01 सिल्वर केन में लगभग 40 लीटर रखे है के मिथ्याछाप/अमानक का शक होने पर 2 लीटर Cow Milk (Loose) को खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक विजय कुमार को सूचित करते हये वास्ते नमूना जॉच खरीदा, जिकी कीमत 80/– श्री विजय कुमार को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियॉ तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर गोपाल कुमावत एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा Cow Milk (Loose) 04 साफ सुखी चौड़े प्लास्टिक बोतले दिखाकर उक्त खरीदसुदा Cow Milk (Loose) को चार बराबर–बराबर भागो में बांटकर चारो सुखे एवं खाली बोतलो में डाला एवं प्रत्येक में 40–40 बून्दे फार्मलिन की बतोर प्रिजरवेटिव डाली गई। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येग भाग पर डी.ओ.डीडवाना–कुचामन की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. Q-3246 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया गया। मौके पर फर्द तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिसमें नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर अगल कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विशलषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के पत्रांक / एफएसएसए / 2024 / 855 दिनॉक 13.12.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. LS/1349/Act/2024/1375 दिनांक 09.12.2024 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

मालिक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Cow Milk (Loose) का नमूना Substandard होना पाया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में श्री **विजय कुमार** ने खाद्य पदार्थ Cow Milk (Loose) Substandard का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा 3 (1) {zx} Substandard {Milk Fat 1.0% In Place of Result Minimum 3.2%}, धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, Cow Milk (Loose) खरीद रसीद की प्रति, फर्द मौका रिपोर्ट की प्रति, फार्म सं. 5 ए की प्रति, फार्म नं. 6 की प्रति, खाद्य विशलेषक द्वारा खाद्य नमूना Q-3246 की प्राप्ति रसीद की प्रति, अभिहित अधिकारी का पत्र की प्रति, अभियोजन संस्थित किये जाने की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनॉक 17.04.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। बावजूद सूचना अभियुक्त विजय कुमार पुत्र झूमरमल कुचामनसिटी अनुपस्थित रहे। जिसके कारण उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अभियुक्त का अनुपस्थित रहना इस बात की ताईद करता है कि उसके द्वारा विक्रय किया गया Cow Milk (Loose) कम वसा का बेचा गया है।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के **FORM- VII A** रिपोर्ट नं. L.S/1349/Act/ 2024/1375 दिनांक 05.12.2024 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

Opinion- The sample of **Cow Milk** bearing Code No. and Sr. No **Q-3246** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Substandard** as it does not conform to the prescribed standards and provisions of food safety and standards (Food products standards and food Additive) Regulations, 2011.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

वाले गाय के दूध का नमूना घटिया है, क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानकों एवं प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

अतः खाद्य कारोबारकर्ता श्री विजय कुमार पुत्र झूमरमल कुचामनसिटी से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Cow Milk (Loose) नमूना नं. **Q-3246** गाय के दूध का नमूना घटिया है, क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानको एवं प्रावधानो के अनुरूप नही है। इसलिये इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा **3(1)(a)(zx)** के अन्तर्गत घटिया घोषित किया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(v) एंव 58 इस प्रकार हैः–

धारा 26ः– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंधन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगाा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा–58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंधन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

2. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/एफएसएसए/जा.रि/2024/855 दिनांक 13.12.2024 से खाद्य कारोबारकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। कोड **Q-3246** वाले गाय के दूध का नमूना घटिया है, क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानको एवं प्रावधानो के अनुरूप नही है। इसलिये इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

की धारा **3(1)(a)(zx)** के अन्तर्गत घटिया घोषित किया गया है। जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार Cow Milk (Loose) में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु विजय कुमार पुत्र झूमरमल खाद्य–कारोबारकर्ता एवं मालिक निवासी न्यू पोस्ट बड़ला का बास, कुचामनसिटी 9887749921 फर्म – मैसर्स श्रीश्याम दूध भण्डार, न्यू कॉलोनी, मण्डप के सामने कुचामनसिटी दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत अभियुक्त फर्म – मैसर्स श्रीश्याम दूध भण्डार, न्यू कॉलोनी, मण्डप के सामने कुचामनसिटी मालिक विजय कुमार पुत्र झूमरमल खाद्य–कारोबारकर्ता निवासी न्यू पोस्ट बड़ला का बास, कुचामनसिटी पर राशि रुपये 21000/–(अक्षरे रुपये इक्कीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना–कुचामन के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

आदेश दिनांक 19/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:13 IST
Reason: SelfAttested